कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/संस्कृत/स्थानान्तरण/2019–20 दिनाक 29.09.2019 द्वारा श्री संजय व्याख्याता संस्कृत का स्थानान्तरण राउमावि जालोर से राउमावि धुमबड़िया, जालोर किया गया।

श्री संजय कुमार द्वारा अपने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 15178/19 संजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.10.2019 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned Speaking Order) द्वारा निर्धारित 30 दिवस की समय सीमा में अभ्यावेदन निस्तारण के निर्देश प्रदान किये गये।

श्री संजय शर्मा व्याख्याता संस्कृत ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मै स्लिप डिस्क व साईटिका रोग से पीड़ित हूं। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार मुझे यात्रा करने की सख्त मनाही है। इन कारणों का अवलोकन करते हुए मेरा स्थानान्तरण निरस्त करें।

अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन का अध्ययन विश्लेषण किया गया। यह पाया गया कि याचिकार्थी द्वारा की गई मांग न्यायोचित नहीं है एवं व्याख्याता स्कूल शिक्षा का पद राज्य स्तर की सेवा का पद है। इस पद पर कार्यरत लोक सेवक की सेवाऐं विभाग द्वारा पूरे राज्य में कहीं भी विद्यालय हित/छात्रहित व राज्य हित में ली जा सकती है। इस आधार पर याचिकार्थी का किया गया स्थानान्तरण सही व राज्य हित में है।

इस आधार पर इनका अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित होवें।

अतः श्री संजय शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि नव पदस्थापित स्थान पर तुरन्त कार्यग्रहण करें। अन्यथा आपके विरूद्ध सीसीए–17 की कार्यवाही शुरू कर दी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी–1/एस.बी.सि.या.सं. 15178/संजय/2019/12 दिनांक : 15/10/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर
2. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग, जोधपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) जालोर को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक तीन दिवस में नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करें तो कार्मिक को चार्जशीट जारी कर इस कार्यालय को सूचित करें।
6. प्रधानाचार्य, राउमावि जालोर
7. श्री संजय वयाख्याता संस्कृत राउमावि जालोर
8. अनुभाग अधिकारी विधि कार्यालय हाजा को याचिका की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

C-1 Court Case 15

Scanned by CamScanner